ऐसा था जिस में मिर्चें झोंक दी गई थीं, पानी भी हवाई-जहाज में उपलब्ध नहीं था। अगर यह हालत हो, इतना केलस-एटीचुड हो, तो मुझे उन लोगों पर शर्म आती है जो इन की हिमायत करते हैं।

मैं चाहता हूं कि उन की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। इस लिए मैं मंत्री महोदय को, श्री पी० सी० लाल साहब को बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने मजबूती से इस समस्या के समाधान का एक निर्णय किया है और संकेत दिया है। एक न एक दिन आप को ऐसे सवालों से निबटना पड़ेगा और मजबूती से निबटना पड़ेगा। पिछले दिनों आप ने जो-कुछ कमजोरी दिखाई, उस का नतीजा यह है कि आये-दिन ये हड़तालें देश को खाये जा रही हैं।

मैं, श्रीमान, आप के माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि एम्पलाइज के सैक्रटरी जैनरल श्री मजूमदार ने यह आरोप लगाया है कि सरकार और मैनेजमेन्ट ने 1971 में उन के साथ जो समझौता किया था, उस का वायोलेशन हो रहा है। उस समझौते के विरुद्ध उन्होंने शिफ्ट पैटर्न को बदलने की कोशिश की है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन का यह आरोप सही है। यदि यह आरोप सही नहीं है तो मैं दूसरी बात यह जानना चाहता हूं कि इन हालात में जैनरल पब्लिक, ट्रैवलर-पब्लिक की सुख-सुविधा के बारे में आप क्या करने जा रहे हैं?

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इन हालात में क्या आप अपने मैनेजमेन्ट को फ्रीडम देंगे, उस के हाथों को मजबूत करेंगे? मेरी राय में सारा सदन इस मामले में आप के साथ है और आप के हर एक्शन का स्वागत करेगा, यदि वह देश और जनता के हित में हो।

SHRI RAJ BAHADUR: I have already given all the answers to these questions. There is only one point which my hon. friend has raised which remains to be answered, and that is about saftey, a point which was made by other hon. Members also. I want to give this assurance that due care will be taken of the safety standards and the security of the passengers during these days. I will, certainly, say, there are rules laid down by the D.G.C.A. which have to be observed and shall be observed. If the rules cannot be observed because of these conditions, we shall ground the planes. We will not take any risk about the safety of the passengers at all.

As far as other things said by the hon. Member, are concerned, I welcome the things he mentioned.

MR. SPEAKER: Papers to be laid.

13.07 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

COPY OF THE INVESTIGATION OF INDUSTRIAL UNDERTAKINGS OWNED BY COMPANIES IN LIQUIDATION (PROCEDURE), RULES UNDER INDUSTRIES (DEVELOPMENT AND REGULATION) ACT, 1951

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI C. SUBRAMANIAM): I beg to lay on the Table a copy of the Investigation of Industrial Undertakings Owned by Companies in Liquidation (Procedure) Rules, 1973 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 915 in Gazette of India dated the 25th August, 1973, under sub-section (4) of section 30 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951. [*Placed in library. See* No. LT-5681/73.]